*बैंक कुछ ऐसा होना चाहिए जिसपर भरोसा किया जा सके**

विरल वी. आचार्य

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एन्ड इंडस्ट्री - फिक्की लेडीज आर्गनाइजेशन (एफ़एलओ) मुम्बई चैप्टर के प्रति मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज यहां बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं एफएलओ के इस मिशन को सलाम करता हूँ और पदभार संभालने जा रहे लोगों द्वारा महिलाओं को सशक्त और शिक्षित करने के प्रयासों के लिए शुभकामनाएँ देता हूँ, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संभावित वर्क फोर्स मिलेगी जो कार्यो में जेन्डर वितरण को संतुलित करेगी तथा उद्यम और उद्यम-शीलता के नए स्रोतों का निर्धारण करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आज मैं बैंकों द्वारा अर्थव्यवस्था मैं निभाई जानेवाली महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट करूंगा तो यह भी इस दिशा मैं एक छोटा सा योगदान होगा, समूचा फूल न सही उसकी पंखुडी ही सही, लेकिन इससे महिला कार्मिकों, शिक्षकों और उद्यमियों द्वारा की जानेवाली वित्तीय आयोजना में सहायता मिलेगी।

मैं इस व्यवस्था को सरल रूप में बताने की कोशिश करूंगा कि बैंक किस प्रकार से कार्य करता है. हम अपनी बचत बैंक में क्यों रखते है, बैंक हमारी बचत का क्या करते हैं, हम जिस बैंक से व्यवहार करते हैं उस पर हमें सवाल कब उठाना चाहिए और जब ऐसे सवाल सारी जनता के तरफ से उठने लगें तो क्या बैंक पर कोई संकट होता है और आर्थिक प्रगति अचानक रुक जाती हैं। इसके बाद मैं भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान हालत के निहितार्थों पर ध्यान दिलाते हुए इसे ठीक करने के कुछ तरीकों का सुझाव दूंगा।

मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ उसे एक लाइन के संदेश के तौर पर कुछ इस तरह कहा जा सकता है - "**बैंक कुछ ऐसा होना चाहिए जिसपर भरोसा किया जा सके**, - इसके पीछे असल मतलब भी छिपा हैं - कि किसी पर भरोसा किया जाए, यह कथन साख का है विश्वास का है, भरोसे का है - कुछ ऐसी चीज जो विवेक सम्मत चुनाव करने के लिए किसी भी बैंक को समय के साथ-साथ अर्जित करनी ही चाहिए।

इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले तीन सामान्य अवधारणाओं को देखना होगा - **बैंक डिपॉजिट क्या हैं, बैंक ऋण क्या हैं, और यह कि जमाकर्ताओं द्वारा बैंक डिपॉजिट की माँग तो तत्काल हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि बैंक से उधार लेने वाले ठीक उसी समय अपना कर्ज नहीं चुका पाएँ।**

चलिए अब धीरे-धीरे आगे देखते हैं।

बैंक डिपॉजिट क्या हैं ?

एकदम सरल रूप मे कहें तो मेरा बैंक डिपॉजिट मेरी बचत की वह रकम हैं, जो मैंने नुक्कड़ वाले बैंक में अपने खाते मे जमा की हैं। एक बार डिपॉजिट खाता खोलने के बाद मैं अपनी जितनी बचत जमा करता हूँ उतनी रकम अपनी मर्जी से निकाल सकता हूँ। डिपॉजिट ऐसी रकम हैं जो मैंने बैंक पर बकाया रखी हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो यह बैंक की देनदारी हैं।

अहम बात यह हैं कि जमाराशियों को फौरन ही निकाला जा सकता है। मुझे बैंक के ATM तक या बैंक के टैलर के पास जाना होगा, और अपनी रकम की माँग करनी होगी- मेरा पैसा मुझे दीजिए। मुझे ऐसा करने की जरूरत ही क्यों हुई? बैंक डिपॉजिट तो ऐसी जगह हैं जहाँ मैं मुसीबत के वक्त काम आने के लिए बचत करता हूँ - मेरी सेहत पर होने वाले खर्चे, ट्यूशन फीस, मेरी रोजमर्रा की जरूरतें। इनमें से कुछ जरूरतों का अनुमान लगाया जा सकता हैं, जब कि कुछ कभी-कभार ही होती हैं; हर बार जब हम ATM से पैसे निकालते हैं या चेक लिखते है या वायर ट्रांस्फर करते हैं, तो बैंक से अपने पैसे की मांग करते हैं। हर अवसर पर हम अपना पैसा वापस नहीं मागते कई बार अपने डिपॉजिट में से ही रकम को आगे भेज देते हैं।

इस प्रकार से बैंक डिपॉजिट वह बचत है जो हम बैंक में रखते हैं। मुझे भरोसा है कि यह सुरक्षित है और जब चाहू तब माँग सकता हूँ। इस पर ब्याज कम है फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे जब चाहूं तब नकदी मिल सकती है। मैं अपने रोजमर्रा की और कभी-कभार होने वाले भुगतानों की जरूरतों को इनसे पूरा कर सकता हूँ।

---

28 अप्रैल 2017 को फिक्की लेडिज आर्गनाइजेशन, मुंबई में डॉ.विरल वी. आचार्य, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया भाषण।

* मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के अपने साथियों और टीम को इस विषय पर विचार-विमर्श करने एवं उनके विचारों के प्रति, बैंकिंग क्षेत्र के मौजूदा एवं पूर्व के निष्ठावान साथियों के प्रति और इस क्षेत्र के अनेक पेशेवरों एवं नीति- निर्माताओं के प्रति तथा बैंकों की दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान से संबंधित संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। इनमें सभी त्रुटियां मेरी है।

बैंक ऋण क्या हैं ?

मेरी तरह के बहुत से जमाकर्ता हैं जो बैंक मैं अपनी बचत रखते हैं। इस तरह देखें तो बैंक एक सुरक्षित तिजोरी या भंडारण तकनीक है। हालांकि ज्यादातर समय जमा रकम को निकाला नहीं जाता है, बल्कि इधर-उधर कर दिया जाता हैं। जब इन्हें निकाला जाता है तब भी सभी जमाराशियाँ एक-साथ तो निकाली नहीं जाती हैं। उदाहरण के लिए मेरे और मेरे पड़ोसी के लिए इलाज का खर्च एक साथ तो नहीं ही होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो बैंक में काफी बचत ऐसी होती है जो निष्क्रिय पड़ी रहती है।

अब हम अर्थव्यवस्था में उन लोगों को दृश्य में लाते हैं जो संभावित उधारकर्ता हैं। एक बुद्धिमान युवती सफल सलाहकार है, और वह अपना कारोबार खड़ा करना चाहती है। उसे अपनी बचत से कहीं ज्यादा धन चाहिए ताकि अपनी कल्पना को साकार कर सके। अभी-अभी एक नई इमारत बनके तैयार हुई है और बहुत से युवा-दम्पति, पहली बार घर खरीदने वाले, उसी इमारत में घर खरीदना चाहते हैं। एकमुश्त रकम चुकाने की उनकी अपनी सीमा है लेकिन शेष रकम लेना चाहते हैं, जिसे वे अपने जीवनकाल में चुका सकें। बुजुर्गों के किसी परिवार को लम्बी बीमारी में इलाज के लिए पैसे चाहिए। वे अपनी बचतों में से खर्च को पूरा नहीं कर सकते लेकिन उनके पास कुछ प्रापर्टी है जिसके बदले मे वे उधार लेना चाहते हैं।

ये सभी संभावित उधारकर्ता धन-संबंधी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बैंक की शाखा में जा सकते हैं। इन लोगों और परिवारों की ऋण चुकौती क्षमता को देखते हुए, बैंक इन्हें कर्ज देते हैं, इसके लिए यथासमय चुकौती और यदि किसी कारण से चुकौती नही हो पाए तो जमानत के तौर पर दी गई प्रापर्टी और परिसम्पत्तियों को कुर्क कराने का दावा करने के लिए करार पर भी हस्ताक्षर कराए जाते हैं। ये ऋण बैंकों की परिसम्पत्तियाँ होते हैं।

बैंक डिपॉजिट की तुलना में इनकी ब्याज दर अधिक होती है, और यही बैंकिंग करोबार की एक आकर्षण प्रदान करता है।

मांग पर लौटाई जाने वाली जमाराशियाँ अल्प काल के लिए; बैंक ऋण लम्बे समय के लिए होते हैं :

इस प्रकार से बैंक आकार लेता है। इसकी बैलेंस शीट में दाहिनी तरफ डिपॉजिट के रूप में देयताएं होती हैं, जिन का भुगतान जमाकर्ता के माँगने पर अवश्य करना होता है; और बैलेंसशीट में बाँए तरफ बैंक ऋणों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियाँ होती है, जिनकी चुकौती बैंक निर्धारित समय पर ही करने के लिए कह सकता है।

इस व्यवस्था को अपनाते हुए बैंक द्वारा परिपक्वता परिवर्तन का आर्थिक कार्य पूरा किया जाता है। जमाराशि की माँग किसी भी समय संभावित हैं, इसी जमाराशि को दीर्घ-कालीन बैंक ऋण के रूप में वित्तीय मध्यस्थों के माध्यम से उधार दिया जाता है, और कई मौकों पर इसकी चुकौती प्राप्त नहीं होती।

और फिर ..... इस व्यवस्था कि खूबसूरती यह है कि ज्यादातर समय यह काम कर जाती है। जिस दिन मुझे दवाओं के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए बैंक से पैसे निकालने पड़ते हैं, संभव है कि उसी दिन मेरे पड़ोसी और अन्य लोगों को महीने की तनख्वाह मिली हो और उसका कुछ हिस्सा तो बैंक में रहता ही है या उसी दिन किसी कर्ज की चुकौती मिली हो, इनसे बैंक का सेविंग-पूल बढ़ जाता है, जिनकी मदद से मेरे डिपॉजिट की निकासी हो पाती है।

इसके पीछे नए कारोबारियों को, पहली बार घर खरीदने वालों और बुजुर्गों को भी धन प्रदान किया जाता है। उनकी वचनबद्धताएँ नए करोबारों, निर्माण और सीमेन्ट उद्योग, मेडिकल सेवाओं और अस्पतालों में नौकरियों के रूप में आर्थिक क्रियाकलाप का द्वितीय-चक्र सृजित करते हैं। इन कामों में लगे हुए लोगों की बचत करने उधार लेने की अपनी अलग जरूरतें होती हैं जिनके लिए वे अपने बैंकों से व्यवहार करते हैं।

इस प्रकार से बैंकिंग किसी भी अर्थव्यवस्था का जीवन-तत्व होती है, जो माँग पर देय जमाराशियों के रूप में बचत की बैंक ऋणों या बैंक क्रेडिट के रूप में उधार देने का काम

करके विकास को गति और सहजता देते हुए प्रत्येक के कल्याण को बढ़ावा देती है।

मैंने जितना अब तक बताया है, यदि बैंकिंग ऐसी ही शांति से काम करे तो केंद्रीय बैंकरों सहित हम सभी का जीवन बड़ा ही सरल रहे। लेकिन, दर असल में इतना अच्छा हो नहीं पाता है। इसमें जोखिम हैं, और इन जोखिमों को निपटने के उपाय भी हैं, फिर भी यदाकदा बैंकिंग संकट होते रहते हैं। अब हम अगली बात पर आते हैं।

परिपक्वता संपरिवर्तन से क्या जोखिम होते है और बैंक इनसे कैसे निपट सकते हैं?

यदि ऐसा संयोग बने कि किसी बैंक को धन निकासी के बहुत से अनुरोध मिलें तो क्या होगा? इसके कारोबार में एक महामारी फैल जाएगी, हो सकता है वह बैंक किसी ऐसे समुदाय की सेवाएं दे रहा हो जो अक्षय तृतीया पर सोना खरीद रहा हो; या खेतीबाड़ी करने वाले समुदाय के पास खराब मानसून के कारण धन की कमी हो गई हो, और अपेक्षित मात्रा में जमाराशियाँ नही आ पाएँ।

ऐसी दशा में, जब बहुत से जमाकर्ताओं को एक साथ अपना धन निकालने की जरुरत आ पड़े, तो बैंक के सामने परिपक्वता से परिवर्तन का जोखिम आ जाता है। संयोंगवश धन की मांग को देखते हुए नई जमाराशियों और विद्यमान ऋण चुकौतियों के आधार पर धन निकासी का निपटान करना संभव नहीं हो पाता है। ऐसे जोखिमों से निपटन के लिए बैंक के पास क्या विकल्प हैं, ताकि बैंक अपने जमाकर्ताओं को धन प्रदान करना निश्चित करके उनके भरोसे को बनाए रख सके।

अब मैं संक्षेप में तीन संकल्पनाओं का उल्लेख करना चाहूँगा - **बैंक नकदी, बैंक की पूँजी और अन्तर बैंक बाजार**।

बैंक की नकदी

एक साधारण सी बात है, कि बैंक को कर्ज देने में अपनी सारी जमाराशियाँ लगाने की जरूरत नहीं है। यह कुछ जमाराशियों को पूरी तरह से रिजर्व के तौर पर या बफर के तौर पर रख सकता है, ताकि जमाराशियों की निकासी में अनपेक्षित संयोगों से निपटा जा सके। बैंक की ऐसी नकदी का लाभ यह है कि जब तक धन निकासियों की मात्रा इस रिजर्व से कम रहेगी तब तक यह त्रुटिहीन बचाव है। इसकी लागत यह आती है कि अपनी जमाराशियों के बल पर बैंक कर्ज नहीं दे पाते हैं, और आर्थिक क्रियाकलापों से समझौता करना पड़ता है।

बैंक की पूँजी

एक दूसरा तरीका यह है कि बैंक जो कर्ज़ देते हैं उसके लिए फंड की व्यवस्था सिर्फ अपने पास मौजूद देयताओं से ही नही करें। ये देयताओं के ऐसे प्रकार भी तैयार करें जो माँग पर देय नहीं हो जाते। उदाहरण के लिए बचत की जरूरतों के अलावा बैंक अपनी पूँजी लगा सकते हैं। बड़ा बैंक चाहे तो स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होकर सार्वजनिक इक्विटी भी जुटा सकता है। इसी प्रकार बैंक के समग्र आकार को देखते हुए जमाराशियों की अप्रत्याशित निकासी और इसे प्राप्त होने वाली ऋण चुकौतियों के प्रभाव को कम किया जा सकता है।

बैंक की ऐसी पूँजी को लाभ से मजबूत किया जाता है; दिए गए कर्ज़ पर मिलने वाले ब्याज में से जमाराशियों पर दिए जाने वाले ब्याज और परिचालन लागत को घटाकर लाभ तय किया जाता हैं। यदि बैंक अप्रत्याशित धन-निकासी का सामना करता है तो सुरक्षा का पहला स्तर बैंक की अपनी पूँजी होती है; बैंकर अपने बैंक से कम बोनस ले सकते हैं, बैंक इक्विटी पर दिए जाने वाले लाभांश की अस्थायी रूप से स्थगित किया जा सकता है; और वस्तुतः बैंकर और इक्विटी धारक लोग इसे प्रत्याशा में और भी धन लगा सकते हैं कि भविष्य में होने वाले लाभों से इन सबके बावजूद ऐसी पूँजी लगाना उनके लिए लाभप्रद होगा।

अंतर बैंक बाज़ार

बैंक के लिए इससे भी अधिक गूढ़ तरीका है कि जरुरत पड़ते ही अन्य बैंकों (अधिक सामान्य रूप से कहें तो अन्य वित्तीय मध्यस्थों) से नकदी हासिल करने का प्रयास किया जाए। उस इलाके के सभी बैंक इसी महामारी या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित नहीं हो जाते हैं। जब तक इन बैंकों को यह भरोसा है कि नकदी की जरूरत जिस बैंक को है, उसकी यह जरूरत अस्थायी है लेकिन उसके पास अन्य प्रकार से दीर्घावधि आस्तियां उच्च कोटि की हैं तो वे जरूरतमंद बैंक

को अपनी नकदी अतिशेष में से कुछ उधार दे सकते हैं। यह **अंतर-बैंक डिपॉजिट** होगा। ऐसा भी हो सकता है कि अतिशेष रखने वाला बैंक अपने धन को डिपॉजिट करने को तैयार नहीं हो लेकिन जरूरतमंद बैंक की कुछ आस्तियों को खरीदना चाहता हो, तो **आस्तियों की बिक्री के लिए अंतर-बैंक बाज़ार का सृजन करते हैं**। इसकी चरम स्थिति यह होगी कि अतिशेष रखने वाला बैंक जरूरतमंद बैंक की सभी देयताओं को स्वीकार करले और बदले में पूरे बैंक का अधिग्रहण करे, इस प्रकार **अन्तर-बैंक समामेलन** का बाजार तैयार हो जाएगा।

अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि परिपक्वता संपरिवर्तन के जोखिम से निपटने के कई उपाय हैं, ऐसा जोखिम जब जमाराशियों की तत्काल माँग आ जाती है, जबकि आस्तियों से पूरी चुकौती अभी हुई नहीं है। आस्तियाँ जितनी अधिक बेकार गुणवत्ता की होंगी कोई बैंक अप्रत्याशित धन निकासी को पूरा करने के लिए अपनी आस्तियों से मिलने वाले नकदी प्रवाहों पर उतना ही कम निर्भर रहेगा, और नगदी तथा पूँजी के रूप में इसे पहले ही से व्यवस्था अवश्य रखनी होगी। इसके उपाय - नकदी, पूँजी और अन्तर बैंक बाजार - परस्पर निवारक नहीं होते हैं, यद्यपि वे एक दूसरे को स्पष्ट तौर पर प्रभावित करते हैं, और कई बार तो एक-दूसरे की तुलना में अधिक आकर्षक होते हैं।

जोखिमों से निपटने के ऐसे उपायों के बावजूद क्या हम हमेशा अपने बैंक पर भरोसा नहीं कर सकते हैं?

एक संभावना यह है कि बैंक कुछ इक्विटी पूँजी जुटा ले और अपनी कुछ नकदी बनाए रखे। एक बार जमाकर्ताओं को यह पता चल गया तो वे यह समझ जाते हैं कि उनकी निकासी का भुगतान केवल तभी मिलेगा जब बैंक नकदी जुटाने के लिए अंतर बैंक बाजारों का प्रयोग कर सकता हो। जैसा मैंने बताया था यह केवल तभी संभव हो सकेगा जब भविष्य में अंतरबैंक लेनदेन की चुकौती के लिए बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता संदेहजनक है तो क्या होगा, क्योंकि बैंक ने अपने धन को ऐसे दांव पर लगा रखा हैं कि यदि उस दांव से फायदा नहीं हुआ तो जमाकर्ता की रकम जोखिम मे पड़ जाएगी। यहाँ तक कि यदि आस्ति की गुणवत्ता पूरी तरह संदेहजनक नही है तो भी अंतरबैंक बाजार में ही अकाल पड़ जाने पर क्या होगा? और ऐसा हो सकता है यदि वास्तव में कोई मज़बूत बैंक नहीं हो, यह केवल कुछ ही मज़बूत बैंक हों, क्योंकि ज्यादातर बैंकों ने अर्थव्यवस्था की बचत को अविवेकी ढंग से दाव पर लगा दिया हो।

प्रणालीगत आघात, बैंक-रन, वित्तीय अमध्यस्थन

अगर कहें कि आर्थिक सुनामी जैसे कि मकानों की कीमतों में भारी गिरावट हो जाए या विश्वव्यापी स्तर पर आर्थिक गिरावट हो या बहुत से आर्थिक क्षेत्रों में कामकाज कमजोर हो जाए और बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करे, और बैंक भी एकदम कगार पर खड़े रहकर भारी जोखिम का सामना करने लगे, तो इसकी आस्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा एकदम जोखिम में पड़ जाएगा, ऐसे में अप्रत्याशित रूप से जमाराशियों की बड़ी निकासी को पूरा कर पाना किसी बैंक के लिए कठिन होगा। इससे भी खराब तब होता है, जब कुछ जमाकर्ताओं को बैंक भुगतान देना शुरू कर देता है, और दूसरे जमाकर्ताओं को यह डर सताने लगता है कि बैंक की नकदी कम होती जा रही है और उनकी बचत जोखिम में है क्योंकि निहित आस्तियाँ या तो सुरक्षित नहीं है या अन्तरबैंक बाजार में पर्याप्त रूप से नकद में बदल जाने योग्य नही हैं। अब ये जमाकर्ता भी अपनी जमाराशियों की मांग करना शुरू कर देंगे। ऐसे में बैंक 'रन' शुरू हो जाता है। किसी एक बैंक पर ऐसे 'रन' से आस्ति-गुणवत्ता का संकेत प्रकट होते ही, खासकर एक जैसी आस्तियों वाले बैंकों पर पूरी तरह से बैंकिंग संकट हावी हो जाता है।

जब ऐसा होता है तो समूची बैंकिंग प्रणाली के अमध्यस्थन का जोखिम हो जाता है वित्तीय लेनदेन के भुगतान और निपटान रुक सकते हैं; बैंकों के तुलनपत्र में यह क्षमता नहीं रह जाती कि नए कारोबारियों को, पहली बार घर खरीदने वालों और बुजुर्ग परिवारों को नए कर्ज दे सके; इस प्रकार आर्थिक क्रियाकलाप ठप हो सकते हैं। आस-पास बैंक तो है लेकिन अर्थव्यवस्था का प्राण तत्व बैंकिंग नहीं हैं जो बचत को उत्पादक कार्यों और रोजगार-सृजन में लगा सके।[1]

[1] रोचक बात यह है कि किसी उधारकर्ता द्वारा कर्ज की चुकौती में की जाने वाली चूक की स्थिति को बताने के लिए प्रयुक्त 'bankruptcy' शब्द इटेलियन के 'banca rotta' से बना है, जिसका अर्थ होता है 'टूटा हुआ बैंक', यह ऐसी स्थिति को बताता था जब किसी बैंक के जमाकर्ता जेनोवा गणराज्य में बेन्च या काउन्टर को तोड़ डालते थे, खासकर तब जब जमा रकम की निकासी की मांग को बैंकर पूरा नहीं कर पाते थे।

वर्तमान भारतीय संदर्भ

अब मैं दूसरी तरफ बढ़ता हूँ कि वर्तमान भारतीय संदर्भ में इसका क्या आशय है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं यह उल्लेख करना चाहूँगा कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी ग्लोबल फिनानशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में निम्नलिखित विशिष्ट तथ्य सामने लाए गए हैं:

1. अपने बैंक के ऋण की चुकौती के लिए नकदी प्रवाह की दृष्टि से अक्षमता को देखें तो इस समय भारतीय उद्योग क्षेत्र विश्व के सर्वाधिक ऋणग्रस्तों में हैं;[2] और

2. अपनी आस्तियों पर हानियों के लिए अर्थात मुख्य रुप से औद्योगिक क्षेत्र को दिए गए गैर-निष्पादक कर्जों पर; प्रावधान कितनी कम पूँजी अलग रखी है इस दृष्टि से देखें तों अन्य उदीयमान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति बदतर है।[3]

हानियों के लिए प्रावधान के रुप में बैंक की थोड़ीसी पूँजी है - इसका क्या आशय है? मैं इसे इस प्रकार स्प्ष्ट करता हूँ। अपने ऐसे कर्ज जिनके बारे में कमोबेश यह जानकारी है। कि इन पर हानि होने वाली है, और उसके लिए भी वह बैंक पर्याप्त पूँजी भंडार नहीं रखे वह ठीक उस व्यक्ति की तरह से है जिसने आपातकाल के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी हो और वह किसी ऊँची इमारत से फिसल कर नीचे गिरते समय यह सोचे कि आज इस प्राण घातक यात्रा के दौरान शायद गुरुत्वाकर्षण का नियम बदल जाए। यद्यपि पर्याप्त प्रावधान नही करने की यह समस्या कुछ निजी बैंकों में भी घुस चुकी है, तथापि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मामले मे यह समस्या तीन या चार गुना विकराल है।

कुल मिलाकर बैंकिंग और बैंकिंग संकटों के बारे में जो वर्णन मैंने किया है वह् दृश्य प्रतिकूल परिस्थितियों का द्योतक है। लेकिन हमारे संदर्भ में कई सवाल फौरन ही दिमाग में आते हैं। मुझे इस बारे में चिन्ता क्यों करनी चाहिए कि जब मेरे डिपॉजिट का बीमा सरकार ने कर रखा है तो क्या मैं अपने बैंक पर भरोसा कर सकता हूँ? और यह भी, कि जब मेरे डिपॉजिट तो सरकारी-स्वामित्व से बैंक में है? मुझे अपने बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता की चिन्ता क्यों करनी चाहिए?

जमा-बीमा और बैंक के सरकारी स्वामित्व की दुधारी तलवार

इन सवालों का जवाब देना अहम है ताकि समझा जा सके कि हमारे बैंकिंग क्षेत्र की समस्याएँ किस प्रकार सामने आनी संभावित हैं। जब तक मैं जमा-बीमा और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पीछे सरकार की गारंटी पर भरोसा करता हूँ तब तक ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि बीमित जमा या सरकारी स्वामित्व वाले बैंक में से अपनी जमा रकम निकालूँ। ध्यान देने की बात यही है। यदि बैंक की सेहत ठीक नहीं है तो यह संभावित उधारकर्ताओं को प्रभावित करता ही हैं। एक बार किसी बैंक की आस्तियों की गुणवत्ता पर्याप्त रूप से बेमेल हो जाए तो बैंक नए कर्ज देकर अपनी कर्जदायी बहियों में बढ़ोतरी नहीं करता है। पतली पूँजी वाले बैंक का प्रबंधन वर्ग मुख्य तौर पर दो ही प्रकार के कर्जे देने में रुची लेता है। पहला, अपने विद्यमान अशोध्य ऋणों को ही सदाबहार बनाना अशोध्य रकम के पीछे और रकम फेकना, ताकि उधारकर्ता को पिछले कर्ज चुकाने में मदद मिले, कर्ज की वास्तविक गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते और बस अपना बीमा किसी और के सिर पर डाल देते हैं। दूसरे, जोखिमपूर्ण कर्ज जो बैंकों को बड़ा प्रतिलाभ देते हैं, ताकि अपनी पूँजी को तेजी से मजबूत बनाने का अंतिम प्रयास कर सके - ठीक वैसे ही जैसे किसी कैसीनो में जुए के पहले दौर में हारने के बाद दोगुना दाव लगा दिया जाए। उधार लेने की ऐसी संभावनाओं को सामने देख अच्छे उधारकर्ता, जिन्हे वित्त प्राप्त करने के वैकल्पित रूप मिल रहे होते हैं, वे बैंकों से उधार लेना त्याग देते हैं। हालांकि वित्तीय मध्यस्थन का विकास क्षीण गति से संभावित हो सकता है, और मैंने अभी जिनकी तारीफ की है उन जैसे सुपात्र उधारकर्ता ऋण पाने से वंचित रह जाते हैं।

विडम्बना यह है कि बैंक-रन की संभावना नहीं हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जमा-बीमा और सरकारी स्वामित्व के विशाल सुरक्षा-जाल की मौजूदगी उस अनुशासन बल को कमजोर करती है जो बैंक की सेहतकी ऐसी हालत में ले जाता

[2] आरेख 1.15 ग्लोबल फिनानशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अप्रैल 2017

[3] तालिका 1.2 ग्लोबल फिनानशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अप्रैल 2017

है, जहाँ कोई अर्थव्यवस्था अपने बैंकों पर इतना भरोसा कर सके कि वे विकास की उर्जा और सहजता देने का कार्य पूरा कर सकते हैं। जमा-बीमा और सरकारी स्वामित्व बीमार बैंक को बचाने में मदद कर सकते हैं लेकिन अच्छी सेहत का गारंटी नहीं ले सकते; वे वित्तीय अस्थिरता से बचाव कर सकते हैं, लेकिन संवृद्धि को उस स्तर तक नहीं ले जाते जो गतिशील अर्थव्यवस्था चाहती है।

दरअसल, हाल ही में विश्वव्यापी अनुभव से प्रकट हुआ है कि सरकारों को इस बारे में सजग रहना होगा कि कैसा भी बड़ा सुरक्षा-जाल हो वह इसके लिए प्रावधान करने हेतु सरकार की क्षमता पर ही बोझ डालता है। आयरलैन्ड और स्पेन जैसे देशों ने अपने-अपने बैंकिंग क्षेत्र की समस्याओं के लिए सन 2008 में बैंक-डिपॉजिट और अन्य देयताओं के लिए बड़ी मात्रा में गारंटी प्रदान करने का कार्य किया। हालांकि इसका अंत सत्यानाशी जीत में हुआ, क्योंकि बैंकों के तुलनपत्रों में मुसीबत आई सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में देनदारियाँ बढ़ गईं, ये देनदारियाँ सेहतमन्द से हटकर संदेहास्पद दायरे में आ गई और सरकार पर ऋण-संकट शुरु हो गया।

बैंक हेड समाधान विकल्प

इसका प्रयोजन ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचना है जो सरकारी क्षेत्र के कमजोर बैंकों को सुधारने के सृजनात्मक तरीकों के कारण हो सकती हैं; मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इन बैकों को सिर्फ सरकारी सहायता से ही आगे नहीं बढाया जाए।[4]

अब मैं विस्तार से बताना चाहूंगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों को फिर से पूँजी देने के लिए ज्यादा से ज्यादा सरकारी वित्त देने की चीख-पुकार हमें सुनाई देती रहती है। साफ है कि सरकारी वित्त से अधिक पूँजी देते रहना अनिवार्य है। हालांकि सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अधिकांश शेयर अपने पास रखने के कारण सरकार को इसकी चुकौती का जोखिम भी लेना ही पड़ जाता है। सरकार से खैरात मिलने की आशा विगत से चली आ रही परिपाटी से भी बँध जाती है कि अशोध्य रकम के पीछे कुछ और रकम झोंक दी गई थी। उदाहरण के लिए विश्वव्यापी वित्तीय संकट के बाद 2008-09 में बैंकों को फिर से पूँजी देने की हमारी योजना ही देख लीजिए - जिन बैंकों ने सबसे बुरी मार झेली सापेक्षिक रूप मे उन्हें ही सर्वाधिक पूँजी मिली। इनमें से अधिकांश बैंकों को अब फिर से पूँजी चाहिए।

हमें इतने बेकार तरीके के पूँजी नहीं देनी चाहिए, जिसमें 'चित आया तो मैं जीता, पट आया तो करदाता हारा' जैसी बात नहीं हो, नहीं तो कर्ज देने के आधिक्य के बीज पड़ जाएंगे। इसे करने के बेहतर तरीके भी हैं। मैं पाँच विकल्प बताना चाहूँगा -

1. **निजी पूँजी जुटाना -** सन 2013 में डीप डिस्काउंट राइटस का निर्गमन करके सरकारी क्षेत्र के मजबूत बैंकों द्वारा निजी पूँजी जुटाई जा सकती थी, और कुछ तो अभी भी यह कर सकते है। उनसे यह करना अवश्य ही अपेक्षित होना चाहिए ताकि बैंकों को फिर से पूँजी देने के लिए सरकार पर पड़ने वाले बोझ को बांटा जा सके। कुछ अनुशासन के लिए यह अच्छा तरीका हो सकता है, साथ ही कर्ज देने के निर्णयों की गुणवत्ता के बारे में अधिक गंभीर सावधानी बैंक के शेयर-धारकों, बोर्ड और प्रबंधन-वर्ग द्वारा रखी जाए।

2. **आस्ति विक्रय -** कुछ बैंकों के पास ऐसी आस्तियाँ अथवा लोन - पोर्टफोलियो होंगे जो बाजार में बेचे जाने के लिए पर्याप्त अछी दशा में हों। आधुनिक बैंकों के द्वारा अब केवल बैंक-ऋण ही नहीं दिए जाते बल्की उनके पास अप्रमुख आस्तियाँ भी होती हैं - जैसे कि बीमा अनुषंगियाँ, मार्केट-मेकिंग प्रभाग, विदेशी शाखाएँ आदि। ऐसी अप्रमुख आस्तियाँ तत्काल बेची जा सकती हैं। अन्य आस्तियों का संग्रह दूसरे बैंकों में किया जा सकता है, और इनको अलग-अलग जोखिम प्रोफाईल में व्यवस्थित किया

[4] इस भाषण में मेरे अपने ही भाषण "बैंक को दबावग्रस्त आस्तियों के कुछ तरीके" में बैंकों की स्थिति भी ठीक करने निर्णायक समाधान के कुछ अंश दिए गए हैं, यह भाषण17 फरवरी 2017 को भारतीय बैंक संघ द्वारा आयोजित बैंकिंगटेक्नोलॉजी सम्मेलन, होटल ट्राइडेंट, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई में दिया गया था|

जा सकता है, ताकि मजबूत बैंकों और अन्य मध्यस्थों के साथ पारदर्शिता और भरोसा कायम रहे तथा वे इन्हें खरीदने भी रुचि बनाए रहें। आस्तियों की बिक्री जरूरी पूँजी का कुछ हिस्सा जुटा सकती है।

3. **समामेलन -** जैसा कि बहुत से यह इशारा कर चुके हैं कि सरकारी क्षेत्र के इतने सारे बैंकों की जरूरत हमें स्पष्ट नहीं हो पा रही है। यह प्रणाली बेहतर हो जाएगी यदि इन्हें कुछ कम लेकिन स्वस्थ बैंकों में समेकित कर दिया जाए। वैसे भी सामाजिक -स्तर पर बैंकिंग प्रदान करने के लिए हमारे पास सहकारी बैंक और सूक्ष्म - वित्तदाता संस्थाएँ हैं। जब भी जरूरी हो तो एक संयोजित संस्था में, सरकारी पूँजी डालने की व्यवस्था के स्थान पर कुछ बैंकों का समामेलन किया जा सकता है। इससे ऐसा अवसर मिलेगा कि प्रबंधन दायित्व को अल्प-निष्पादकों या सर्वाधिक फंसे हुओं से अलग करके फिर से व्यवस्थित किया जाए। मध्यस्थन लागतों को किफायती बनाने के लिए कर्ज देने के क्रियाकलापों को सहक्रियात्मकता और शाखाओं के लोकेशन का निर्धारण किया जा सकेगा, और निष्प्रयोजनीय हो चुकी शाखाओं की भू-सम्पदा को बेचने का मौका मिलेगा। व्यक्ति-संख्या से निपटने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का प्रस्ताव देकर इन बैंकों में युवा, डिजिटल-सेवी प्रतिभाओं को लाया जा सकता है। विगत से ही हमने बैंकों पर जिस प्रकार के दबाव का सामना किया है उसमें लगभग हमेशा ही बैंकों की पुनर्रचना खासतौर पर शामिल रही।

4. **तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई -** कम पूँजी वाले बैंकों पर कुछ सख्ती की जाए और सुधारात्मक कार्रवाई हो जैसे कि अभी हाल में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संबंधी दिशानिदेशों में बताया गया है। ऐसी कार्रवाई से यह भी आवश्यक होना चाहिए कि खराब-पूँजी वाले बैंकों के डिपॉजिट-बेस और ऋणदाय में और बढ़ोतरी नहीं हो। यह ऐसे बैंकों का धीरे-धीरे दूर हटना तय कर देगा और सरकारी क्षेत्र के सर्वाधिक कमजोर बैंकों में होने वाले डिपॉजिट निकलकर सरकारी और निजी क्षेत्र के स्वस्थ-बैंकों की तरफ जाने को प्रोत्साहन मिलेगा। हमारे बैंकिंग क्षेत्र में विकास की संभावना कहाँ हैं, यह जानना कोई राकेट-साइन्स नहीं और डिपॉजिट मे बढ़ोतरी को यह प्रकट करने देना चाहिए।

5. **विनिवेश -** इन उपायों को अपनाने से समग्र बैंकिंग क्षेत्र की सेहत में सुधार होगा, सरकार के लिए ऐसा सुअवसर बनेगा कि बदले हुए विन्यास वाले बैंकों में से अपने कुछ स्वामित्व का विनिवेश कर सके, जैसा इस अर्थव्यवस्था के कई अन्य क्षेत्रों मे मिल चुका है। शायद कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों को फिर से निजी हाथों में देने के विचार का समय आ चुका हैं। इन सबसे उस समग्र रकम में कमी आएगी जो सरकार द्वारा बैंक की पूँजी में डाली जानी है और इससे सरकार द्वारा कठिनाई से अर्जित राजकोषीय रकम बचेगी। मंहगाई स्थिरता के अनुमान और विकास गति की विविधतापूर्ण प्रकृति के कारण वर्तमान मे विदेशी निवेशकों के लिए भारत वैसे भी प्रिय बना हुआ है। हमें इस समष्टि-आर्थिक स्थायित्व को लोहे के छल्लों में फंसाकर अपने कब्जे में रखना है।

और अंत में

मैं इस बारे में आपको भी कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, आप अखबारों और आर्थिक-लेखन में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के बारे में पढ़ें और प्रथम सिद्धान्तों से ही कुछ अर्थ-ग्रहण करने का प्रयास करें और यह सवाल पूछें कि क्या हमारे पास ऐसा बैंकिंग क्षेत्र है जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था भरोसा कर सके।

मैं मानता हूँ कि कीमत कुछ भी हो, लेकिन मैंने इस सप्ताहांत के लिए पर्याप्त विचार सामग्री दे दी है, अब अगले

सप्ताह जब आप कोई वित्तीय लेनदेन किसी बैंक, किसी म्युचूअल फंड, किसी स्टॉक ब्रोकर, या बीमा कम्पनी के साथ करें तो आप उस नकदी के प्रवाह का अनुगमन करने को उद्धत हो उठे जिस प्रवाह में लेनदेन का धन अपने उद्गम से गन्तव्य की तरफ जाता है।

अगर आपको नदी प्रवाह में इस नौकायन ने कुछ जोश भरा हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक में आवेदन करें जहां हम अपने कार्मिकों में महिला-पुरुष अनुपात को फिर से संतुलित करना चाहते हैं जो थोड़ा सा विगलित हुआ है। हम तैयार है कि आप जैसी दक्ष महिलाओं को अपनी वर्कफोर्स में लाएं। धन्यवाद।